बूथ लेवल अधिकारी
ई पत्रिका

खंड 13
सितंबर, 2024

जमीनी असरः बूथ लेवल अधिकारी आयोग की विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) पहल को क्रियान्वित करने में आगे बने रहते हैं।

18वीं लोक सभा के आम चुनाव के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद, भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावलियों के अद्यतनीकरण के साथ हरियाणा, महाराष्ट्र, और झारखंड राज्यों एवं जम्मू–कश्मीर संघ राज्य–क्षेत्र में आगामी राज्य विधान सभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं।

तदनुसार, आयोग ने सभी पात्र और अपंजीकृत नागरिकों को निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज करवाने और इस तरह, आगामी चुनावों में वोट देने की सुविधा प्राप्त करने के पर्याप्त मौके दिए हैं। हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र राज्यों, तथा जम्मू–कश्मीर संघ राज्य–क्षेत्र में द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) 1 जुलाई 2024 की अर्हक तिथि के साथ आयोजित किया गया।

जम्मू–कश्मीर संघ राज्य–क्षेत्र और हरियाणा राज्य में आगामी विधान सभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। निर्वाचक नामावलियां क्रमशः 20 अगस्त और 27 अगस्त 2024 को अंतिम रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए प्रकाशित की गई हैं कि इनमें प्रत्येक पात्र निर्वाचक को शामिल कर लिया जाए। जम्मू–कश्मीर में मतदाता 18 सितंबर, 2024 से लेकर 1 अक्तूबर, 2024 तक तीन चरणों में मतदान करेंगे। परिणाम मतगणना के बाद 8 अक्तूबर, 2024 को घोषित किए जाएंगे। हरियाणा में चुनाव 5 अक्तूबर को आयोजित किए जाने के लिए निर्धारित हैं और यहां भी परिणाम 8 अक्तूबर, 2024 को घोषित किए जाएंगे।

सम्पादक मंडल

एन एन बुटोलिया
सीनियर प्रिंसिपल सेक्रेटरी
(इलेक्टोरल रोल)

अशोक कुमार
निदेशक, (आईटी)

कुलदीप कुमार सेहरावत
निदेशक (ट्रेनिंग)

एस. सुंदर राजन
निदेशक (ईवीएम)

दीपाली मासिरकर
निदेशक (इलेक्शन प्लानिंग)

निदेशक (रस्वीप)

सम्पादक समूह

आर के सिंह
कोऑर्डिनेटर, स्वीप

अनुज चांडक
जॉइंट डायरेक्टर, मीडिया

रजनी उपाध्याय
कम्युनिकेशन कंसलटेंट

फराह अल्वी
ग्राफिक डिजाइनर

प्रशांत कुमार
सहायक निदेशक हिंदी

निर्वाचक नामावली के शुद्धिकरण एवं अद्यतनीकरण में बीएलओ की भूमिका

बीएलओ सुव्यवस्थित रूप से घर–घर जाकर सर्वेक्षण करने और निर्वाचक नामावली में पुनरावृत्तिक/बहुल प्रविष्टियों, स्थायी रूप से स्थानांतरित, या मृत मतदाताओं की पहचान करने के माध्यम से निर्वाचक नामावली को अत्यन्त सावधानीपूर्वक अद्यतन एवं दुरुस्त करने में निर्णायक भूमिका निभाते है। इसमें निवासियों से उपयुक्त हस्ताक्षरों और अनुसमर्थक सबूतों के साथ आवश्यक फॉर्म एकत्रित करना शामिल है। एक बार जब ये विवरण अत्यन्त सावधानीपूर्वक एकत्रित कर लिए जाते हैं, तो बीएलओ एकत्रित फॉर्म और डाटा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) को सौंप देते है, जिससे निर्वाचकों के परिवर्तनशील स्वरूप के साथ निर्वाचक नामावली का निरंतर परिमार्जन और संवर्धन संभव होता है।

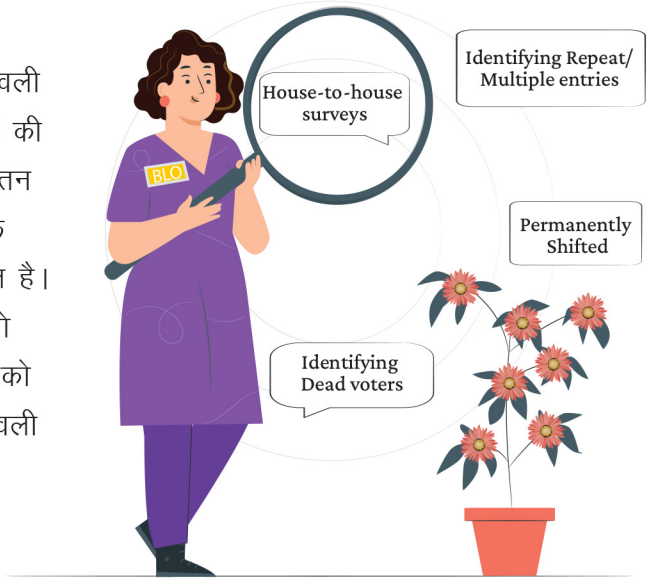

त्रुटिमुक्त नामावली - पुरजोर मतदान के पहलू

अपंजीकृत पात्र नागरिकों का नामांकन

बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है कि सभी पात्र नागरिक निर्वाचक नामावली में शामिल कर लिए जाएं। इसमें उन व्यक्तियों की पहचान करना और उनका पंजीकरण करना शामिल है जो पात्र हैं लेकिन अभी तक नामांकित नहीं हुए हैं। बीएलओ आगे बढ़कर संपर्क करने का प्रयास करते है, पंजीकरण अभियान चलाते है, और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक फॉर्म भरने में निवासियों की सहायता करते है कि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए।

अभिज्ञात पुनरावृत्तिक/बहुल प्रविष्टियों/जनांकिकीय रूप से सदृश प्रविष्टियों का विलोपन

मतदाता सूची में पुनरावृत्तिक या गलत प्रविष्टियों की पहचान करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए बीएलओ जिम्मेदार होते हैं। बीएलओ को निर्वाचक नामावली की सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए पुनरावृत्तिक या जनांकिकीय रूप से सदृश बहुल प्रविष्टियों का, उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, संबंधित ईआरओ द्वारा उन्हें हटवाने के लिए सावधानीपूर्वक अवश्य सत्यापित करना चाहिए। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक मतदाता की एक एकल, सटीक प्रविष्टि हो, जिससे चुनावों के दौरान अनैतिक साधनों के द्वारा प्रतिरूपण और अन्य संबंधित अनाचारों को रोकने में मदद मिलती है।

समुचित सावधानी और सबूत के साथ स्थानांतरित/मृत निर्वाचकों को हटाना

बीएलओ को मतदाता सूची से उन व्यक्तियों के नाम हटाने होते हैं जो किसी दूसरे स्थान पर स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है। इस कार्य के लिए सावधानीपूर्वक सत्यापन और उनकी वस्तुस्थिति का सबूत हासिल करने के लिए समुचित दस्तावेज़ों को इकट्ठा किए जाने की जरूरत है।

घर-घर जाकर शत-प्रतिशत सत्यापन

निर्वाचक नामावली की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, बीएलओ घर–घर जाकर विस्तृत सत्यापन करते हैं। इसमें पंजीकृत निर्वाचकों के विवरणों की पुष्टि करने और किसी भी बदलाव को अपडेट करने के लिए अपने क्षेत्र के प्रत्येक घर–परिवार का दौरा करना शामिल है। इस प्रक्रिया से मतदाता सूची में त्रुटियों या चूक की पहचान करने में मदद मिलती है और यह सुनिश्चित होता है कि सभी पात्र निर्वाचकों की प्रविष्टियों को ठीक तरीके से दर्ज कर दिया जाए।

परिवार के सदस्यों को अलग-अलग दर्ज करने से बचने के लिए परिवारों को टैग करना

बीएलओ यह भी सुनिश्चित करते हैं कि परिवारों को निर्वाचक नामावली में इस तरह टैग किया जाए कि परिवार के सदस्यों को अलग–अलग मतदान केंद्रों या निर्वाचक नामावलियों में दर्ज किए जाने से बचा जा सके। इस परिपाटी से यह सुनिश्चित होता है कि परिवार के सभी सदस्य एक साथ पंजीकृत हों, मतदान प्रक्रिया सरल हो और चुनाव के दिन लॉजिस्टिक्स संबंधी परेशानियों को कम किया जा सके।

एसएसआर (विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण): कब, कहां, क्या और क्यों

1. कब: विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए आवधिक रूप से किया जाता है कि निर्वाचक नामावली महत्वपूर्ण चुनावों के पहले अद्यतन हो जाए।

2. कहां: यह प्रक्रिया सभी मतदान केंद्रों पर पूरी की जाती है और इसमें निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक पात्र निर्वाचक को शामिल किया जाता है।

3. क्या: एसएसआर में नए पंजीकरणों, शुद्धियों और विलोपनों के साथ निर्वाचक नामावली को अद्यतन करना शामिल है।

4. क्यों: एसएसआर का मुख्य उद्देश्य निर्वाचक नामावली की सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता को बनाए रखना है, क्योंकि निर्वाचक नामावली उचित, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनावों की नींव है।

एसएसआर के दौरान बीएलओ (बूथ लेवल आफिसर) के कर्तव्य

1. **समयबद्ध कार्रवाई:** एसएसआर के दौरान, बीएलओ निर्वाचक नामावली को प्रभावी रूप से और कुशलतापूर्वक अद्यतन करने के लिए कड़ी समयसीमा के तहत काम करते हैं।
2. **फील्ड सत्यापन:** यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी जानकारी सही और सटीक रहे, बीएलओ फील्ड सत्यापन कार्य करते हैं।
3. **सामुदायिक आउटरीच:** वे पात्र नागरिकों को पंजीकृत होने और एसएसआर में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उपलब्ध माध्यमों जैसे कि व्हाट्सऐप ग्रुप्स, व्यक्तिगत मुलाकात, आदि के माध्यम से जागरूकता फैलाते हैं।
4. **नामावली में धुंधली, घटिया गुणवत्ता** वाली, विनिर्देशन के प्रतिकूल तथा मनुष्येतर इमेज को बदल कर अच्छी गुणवत्ता वाली तस्वीरें सुनिश्चित करते हुए इमेज क्वालिटी में सुधार करना।

विश्वसनीयता और सद्भावना बनाए रखने में बीएलओ का योगदान

1 .भरोसा कायम करना:

ठीक–ठीक और अद्यतन निर्वाचक नामावली बनाए रखकर, बीएलओ चुनावी प्रक्रिया और चुनाव आयोग के तंत्रों के प्रति भरोसा कायम रखने में मदद करते हैं।

2. सकारात्मक सामुदायिक सहभागिता:

प्रभावी संवाद और उपलब्धता, बीएलओ को समुदाय के भीतर एक भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में स्थापित करता है, जिससे उनकी लोकप्रियता और चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा बढ़ती है।

क्या आप जानते हैं?

फार्म एम

यह फार्म कश्मीर के उन प्रवासियों के निमित्त है जो दिल्ली, जम्मू और उधमपुर के किसी भी विशेष मतदान केंद्र से वोट देना चाहते हैं।

फार्म 12सी

यह फार्म कश्मीर के उन प्रवासियों के निमित्त है जो डाक मतपत्र के जरिए वोट देना चाहते हैं।

कर्मक्षेत्रे

श्री मुमताज हुसैन जम्मू-कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र के पूंछ हवेली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के बूथ 182–89 के लिए बीएलओ के रूप में काम कर रहे हैं

बीएलओ जमीनी स्तर के नेतृत्व की महत्ता को अभिव्यक्त करता है

वे एक समर्पित बीएलओ हैं। सीमित सड़क संपर्क होने के कारण, वे अक्सर अपने निर्वाचकों के दूरवर्ती इलाकों तक पहुंचने के लिए पैदल यात्रा करते हैं। मतदाता पंजीकरण और चुनावी भागीदारी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता असाधारण है, क्योंकि वे यह सुनिश्चित करने के लिए समुदाय के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं कि कोई भी व्यक्ति लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने से छूट न जाए।

श्री मुमताज हुसैन

अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता पंजीकरण को बढ़ाने में मुमताज का योगदान रहा है। उन्होंने चुनावी जागरूकता बढ़ाने के लिए कई बैठकों का आयोजन किया, खासकर दूरवर्ती गांवों में, ताकि अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। हाल के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के दौरान, उन्होंने युवा और पहली बार मतदाता बने लोगों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए आठ से अधिक नए मतदाताओं को जोड़ा। उनके अथक प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी पात्र मतदाता न छूटे, और उनकी निर्वाचक सूची सभी प्रकार से सही और पूर्ण हो।

अपने समुदाय और एक बीएलओ के रूप में अपनी भूमिका के प्रति मुमताज का समर्पण मतदाता पंजीकरण को बढ़ाने और सबसे दूरवर्ती क्षेत्रों में भी अधिक समावेशी चुनावी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने की दृष्टि से जमीनी स्तर के नेतृत्व की महत्ता को निरूपित करता है।

श्री मुमताज हुसैन, दाएं से पहले

श्री अशोक कुमार जो हरियाणा, कुरुक्षेत्र के देवीदास पुरा में गवर्नमेंट महडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय में बीटी शिक्षक, और बूथ नं. 134 के बीएलओ हैं।

मतदाता सूची को समय पर अद्यतन करने के लिए बिना नंबर वाले घरों की चुनौतियों पर विजय प्राप्त किया

श्री अशोक कुमार ने अपने गांव की निर्वाचकीय प्रक्रिया का कायापलट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शुरू में बिना नंबर वाले घरों – जिनकी संख्या कुल मिलाकर 129 थी – की चुनौती का सामना करते हुए उन्होंने प्रत्येक घर को नंबर निर्दिष्ट करके मतदाता सूची में सुधार करने की पहल की। 2021 से, उन्होंने राष्ट्रीय मतदाता दिवस और अन्य निर्वाचकीय कार्यक्रमों में निरंतर जागरूकता शिविर आयोजित किए हैं, और ग्रामीणों को व्यक्तिगत तौर पर मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

श्री अशोक कुमार, बाएं से दूसरे

श्री अशोक कुमार, बाएँ से पहले

पिछले तीन वर्षों में, उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप 238 नए मतदाता जुड़े हैं। देवीदास पुरा में, जहां 75: आबादी कामकाजी, पिछड़ी या अनुसूचित जाति समुदायों की है, के लोगों की व्यस्त दिनचर्या और सीमित समय होने के कारण विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत थी। अशोक कुमार एकदम सवेरे से लेकर देर शाम तक उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करते थे, उन्हें चुनावों में भाग लेने, अपना वोट दर्ज कराने और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक उत्सवों में शामिल होने के लिए प्रेरित करते थे।

श्री अशोक कुमार, बाएँ से पहले

श्री कुमार, बाएँ से पहले, लोगों से बात करते हुए

श्री शेख मुजथादुल इस्लाम जम्मू-कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र के 15-बांदीपोरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के बूथ 189–खारपोरा के लिए बीएलओ के रूप में काम कर रहे हैं।

बीएलओ ऐप का इस्तेमाल करके सही मतदाता विवरण सुनिश्चित किया

हाल ही में संपन्न द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान, 89–खारपोरा, जम्मू–कश्मीर के बूथ लेवल अधिकारी शेख मुजथादुल इस्लाम ने अपने मतदान केंद्र के भीतर प्रत्येक घर–परिवार का दौरा किया। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, उन्होंने फॉर्म 06 का उपयोग करके 25 नए मतदाता पंजीकरण आवेदन, फॉर्म 07 के माध्यम से 14 विलोपन अनुरोध और फॉर्म 08 के माध्यम से 420 सुधार आवेदनों पर कार्रवाई की।

उनके दौरों के दौरान अनेक मतदाताओं ने निर्वाचक फोटो पहचान कार्डों (एपिक) के बारे में चिंता व्यक्त की। इन दिक्कतों पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने मतदाता विवरणों की सटीकता सुनिश्चित करते हुए 420 प्रविष्टियों को सही करने और प्रतिस्थापित करने के लिए बीएलओ ऐप का उपयोग किया।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने प्रभावी संवाद कायम करने के लिए अपने मतदान केंद्र में मतदाताओं के लिए एक व्हाट्सएप समूह बनाया, संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रक्रिया, मतदान दिवस सूचना और स्वीप से संबंधित गतिविधियों पर उन्हें समय से अपडेट दिया।

इन व्यापक प्रयासों के जरिए, शेख मुजथादुल इस्लाम ने किसी भी मतदाता को न छोड़ते हुए एक सुचारू, समावेशी और सर्वांगीण मतदाता रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सुनिश्चित की।

श्री शेख मुजथादुल इस्लाम, दाएं से पहले, पहचान करवाते हुए

श्री शेख मुजथादुल इस्लाम, बाएँ से पहले

बातों बातों में

बीएलओ के साथ वार्ता

श्री लखविंदर सिंह जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रों के बूथ 69 (एससी) के लिए बीएलओ के रूप में कार्य कर रहे हैं

एसएसआर के दौरान निर्वाचक नामावलियों को दुरुस्त करने के लिए गठजोड़ों का लाभ उठाना

मेरा लक्ष्य निर्वाचक नामावलियों में नामांकन के लिए सभी पात्र घर–परिवारों को शामिल करना और यह सुनिश्चित करना है कि नामावलियों में कोई विसंगति न हो। इस संबंध में, हाल ही में संपन्न द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान, अर्हता तिथि 01–07–2024 के संदर्भ में, मैंने अपने मतदान केंद्र को सौंपे गए घर–परिवारों का दौरा किया और नए रजिस्ट्रेशन आवेदन वितरित करने, पात्र मतदाताओं की पहचान करने और उन्हें व्यक्तिगत रूप से रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य शुरू किया तथा मौजूदा मतदाता सूचना का भी सत्यापन किया।

श्री लखविंदर सिंह दायें से दूसरे

श्री लखविंदर सिंह बाएं से तीसरे स्थान पर

मैंने लोगों को फॉर्म 06, 07 और 08 के उद्देश्य के बारे में समझाने का भी प्रयास किया और व्यक्तिगत जरूरतों, विशेष रूप से पहली बार मतदाता बने लोगों की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया। इसके लिए मैंने स्थानीय स्कूलों और पंचायत घरों जैसे सामुदायिक स्थानों के साथ मिलकर प्रयास किए, जहां मतदाता जागरूकता शिविर आयोजित किए गए।

श्रीमती सुनीता कुमारी झारखंड के नरखोरिया कला के बूथ 206 के लिए बीएलओ के रूप में कार्य कर रही हैं।

फोटो अपडेट करने में चुनौतियों पर काबू पाकर लोकतंत्र को कायम रखना

सुनीता कुमारी पिछले दो वर्षों से झारखंड के नरखोरिया कला के गवर्नमेंट स्तरोन्नत मिडिल स्कूल के मतदान केंद्र सं. 206 के लिए बीएलओ के रूप में काम कर रही हैं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पूरी तरह से ग्रामीण और कृषि पर अत्यधिक निर्भर होने के कारण यह क्षेत्र रोजगार के अवसरों की भारी कमी के कारण काफी समस्याओं का सामना करता है, जिसके परिणामस्वरूप काफी संख्या में पलायन होता है, जो उनके काम को जटिल बनाता है।

हरी साड़ी में श्रीमती सुनीता कुमारी फॉर्म भरती हुई

इस मतदान केंद्र पर 700 पंजीकृत मतदाता हैं, जिसमें लिंग अनुपात 934 है। उन्होंने फॉर्म 7 का उपयोग करके मतदाता सूची से 18 डुप्लीकेट प्रविष्टियों को सफलतापूर्वक हटाया, फॉर्म 6 के माध्यम से 85 पात्र व्यक्तियों को मतदाता सूची में जोड़ा। श्वेत–श्याम और निम्न गुणवत्ता वाली तस्वीरों को अपडेट करने में कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, सुनीता फॉर्म–8 का उपयोग करके 85 प्रविष्टियां प्रस्तुत करने में सफल रहीं। कुल मिलाकर, उन्होंने विभिन्न फॉर्मों के माध्यम से 237 ऑनलाइन प्रविष्टियां प्रस्तुत की हैं।

श्रीमती सुनीता कुमारी, लाल साड़ी में, फॉर्म भरवाती हुई

श्वेत–श्याम और निम्न गुणवत्ता वाली तस्वीरों को अपडेट करने में कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद सुनीता फॉर्म–8 के माध्यम से 85 प्रविष्टियां जमा करने में सफल रहीं। कुल मिलाकर, उन्होंने विभिन्न फार्मों के माध्यम से 237 ऑनलाइन प्रविष्टियां प्रस्तुत की हैं। उन्होंने अपने निर्वाचन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए समर्पण और ईमानदारी का एक उदाहरण पेश किया है।

मतदाता सेवाओं को और बेहतर करने के लिए आयोग के ऐप

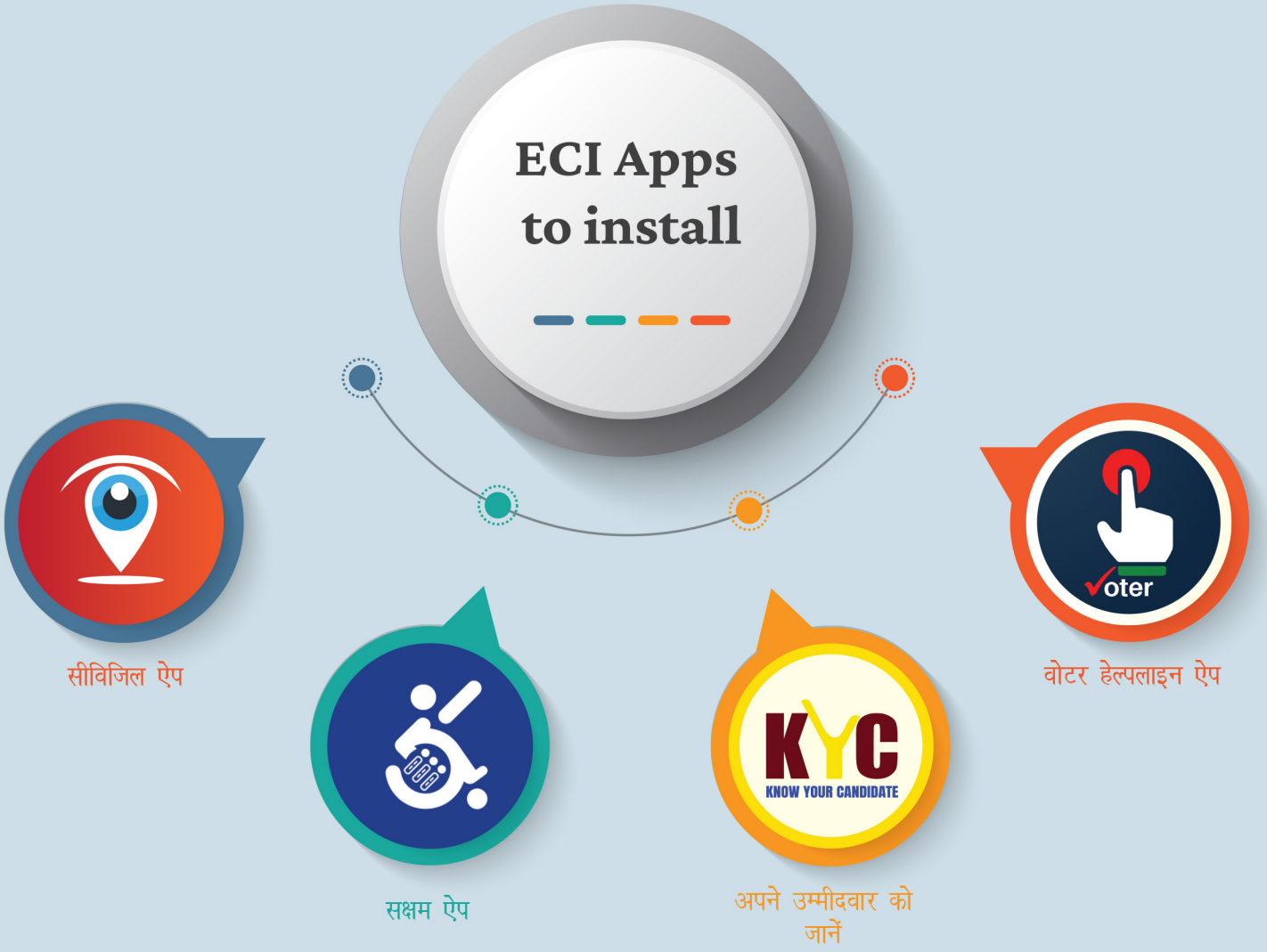

सीविजिल ऐप

सक्षम ऐप

अपने उम्मीदवार को जानें

वोटर हेल्पलाइन ऐप

ऑनलाइन पंजीकरण करें या
voters.eci.gov.in पर पर अपने विवरणों का सत्यापन करें

I VOTE FOR SURE

Voter Helpline 1950

fb.com/ECI @ecisveep youtube.com/eci @ecisveep Election Commission of India